भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1350

जिसका उत्तर सोमवार, 8 दिसम्बर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

माफ किए गए अशोध्य ऋण

1350. श्री अबू ताहेर खान:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक बैंकों में पूंजी डालने का इरादा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक बैंकों ने कितने अशोध्य ऋण माफ किए हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने से सार्वजनिक बैंकों की नकदी पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): वित्तीय वर्ष 2022-23 से सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में कोई पूंजी निवेश नहीं किया गया है। पीएसबी ने अपने वित्तीय कार्यनिष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार किया है, लाभप्रद बैंक बनाए हैं और अपनी पूंजी की स्थिति को सुदृढ़ किया है। पीएसबी अब अपनी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार स्रोतों और आंतरिक उपार्जन पर निर्भर हैं। पीएसबी ने दिनांक 1.4.2022 से दिनांक 30.9.2025 तक इक्विटी और बॉन्ड के माध्यम से बाजार से 1.79 लाख करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, पीएसबी ने पिछले पांच वित्तीय वर्ष और चालू वित्त वर्ष के दौरान दिनांक 30.9.2025 (अनंतिम आंकड़ा) तक 6,15,647 करोड़ रुपये की कुल ऋण राशि बट्टे खाते डाल दी है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों और बैंकों के बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, बैंक एनपीए को बट्टे खाते डालते हैं, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, वे एनपीए भी शामिल हैं, जिनके संबंध में चार वर्ष पूरे होने पर पूर्ण प्रावधान किया गया है। इस प्रकार बट्टे खाते डालने से उधारकर्ताओं की देयताओं को माफ नहीं किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, बट्टे खाते डाले गए ऋणों की वसूली एक सतत प्रक्रिया है और बैंक अपने पास उपलब्ध विभिन्न वसूली तंत्रों, जैसे सिविल न्यायालयों अथवा ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) में वाद दायर करना, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्रवाई करना, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में मामले दायर करने आदि के अंतर्गत उधारकर्ताओं के विरूद्ध शुरु की गई अपनी वसूली की कार्रवाइयों को जारी रखते हैं।

चूंकि अशोध्य ऋण के लिए पूर्व में ही प्रावधान करने के लिए किया जा चुका है और बट्टे-खाते डालने की प्रक्रिया में कोई वास्तविक नकद प्रवाह नहीं होता है, इसलिए बैंक की चलनिधि की स्थिति बरकरार रहती है| इसके अलावा, बैंक अपने तुलन-पत्र को परिशोधित करने, कर लाभ प्राप्त करने, पूंजी आधार को इष्टतम बनाने, ऋण देने की क्षमता बढ़ाने और निवेशकों की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी नियमित कार्य के हिस्से के रूप में बट्टे खाते डालने के प्रभाव का मूल्यांकन/विचार करते हैं।

*****